



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला शुक्रवार 25 नवम्बर, 2011 / 4 अग्रहायण, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st November, 2011

No. HHC/GAZ/14-256/2002.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave 30.11.2011 to 9.12.2011, with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 10th and 11th December, 2011, in favour of Shri Ranjeet Singh, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC (I), Ghumarwin.

Certified that Shri Ranjeet Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Ranjeet Singh would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC (I), Ghumarwin, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla 19th November, 2011

No. HHC/GAZ/14-138/82-1.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 7 days' commuted leave w.e.f. 1.11.2011 to 7.11.2011 in favour of Shri R.L. Azad, District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P.

Certified that Shri R.L. Azad has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri R.L. Azad would have continued to hold the same post of District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd November, 2011

No. HHC/GAZ/14-302/2008.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 11 days' commuted leave w.e.f. 27.10.2011 to 06.11.2011 with permission to prefix gazetted holiday fell on 25th and 26th October, 2011 and suffix gazetted holiday on 7th November, 2011 in favour of Shri Neeraj Goyal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Anni, H. P.

Certified that Shri Neeraj Goyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeded on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Neeraj Goyal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Anni, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, 21st November, 2011

No. HHC/Admn.3 (189)/83.—08 days earned leave on and w.e.f. 15.11.2011 to 22.11.2011 is hereby sanctioned in favour of Smt. Dinesh Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Dinesh Chauhan would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, 21st November, 2011

No. HHC/Admn.3 (133)/79.—5 days earned leave on and with effect from 05.12.2011 to 09.12.2011 with permission to prefix Sunday falling on 4th December 2011 and suffix second Saturday and Sunday falling on 10th and 11th December, 2011 is hereby sanctioned in favour of Shri A.S. Himalvi, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri A.S. Himalvi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the leave period.

Certified that Shri A.S. Himalvi would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd November, 2011

No. HHC/E.5-10/73-VII.—In exercise of the powers vested in it under Section 18 of the H.P. Courts Act, 1976 read with Rule 3 of the Appointment and Control Rules of Superintendents to the District and Sessions Judges in Himachal Pradesh, the Hon'ble High Court has been pleased to promote and appoint Shri Surender Kumar, Reader, (Superintendent Grade-II), Office of the District and Sessions Judge, Shimla, H.P, as Superintendent Grade-I to the District & Sessions Judges in the pay Band of Rs.10300-34800 with Grade-Pay of Rs. 5000/-, and post him as such in the office of the District and Sessions Judge, Mandi, against a post, which will fall vacant on and w.e.f. 1.12.2011 on account of retirement on superannuation of Sh. Om Prakash Katoch, the present incumbent, on 30.11.2011 in the afternoon.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 21st November, 2011

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1, of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Ghumarwin as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Ghumarwin and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-II to IV establishments attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Shri Ranjeet Singh, Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Ghumarwin with effect from 30.11.2011 to 9.12.2011 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 10th and 11th December, 2011, or till he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th November, 2011

No.HHC/Admn.16 (34) 89-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Anil Kumar Verma, Advocate as Oath Commissioner at Dalhousie, H.P. with immediate effect for a period of two years, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 22nd November, 2011

No. HHC/Admn.2 (101)/2003.—Shri Om Prakash Katoch, Superintendent Grade-I, Office of the District and Sessions Judge, Mandi, shall stand retired from service on attaining the age of superannuation on and with effect from 30.11.2011, afternoon.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 19th November, 2011*

No.HHC/Admn.6 (20)/77-XVII.—It is notified for information of the general public that the holidays and vacations to be observed by the Subordinate Courts in H.P. during the calendar year 2012 shall be as follows:-

HOLIDAYS FOR THE SUBORDIDNATE COURTS GAZETTED HOLIDAYS

Name of holiday(s)	Date(s) on Which these Fall.	Day or Days of the week
All Sundays :		
All Second Saturdays :		
State-Hood Day	25 th January	Wednesday
Republic Day	26 th January	Thursday
Maha Shivratri	20 th February	Monday
Holi	8 th March	Thursday
Good Friday	6 th April	Friday
Baisakhi	13 th April	Friday
Janam Ashtmi	10 th August	Friday
Independence Day	15 th August	Wednesday
Idu'l Fitr	20 th August	Monday
Mahatma Gandhi's Birthday	2 nd October	Tuesday
Dussehra Holidays	22 nd October to 27 th October	Monday to Saturday
Deepawali holidays	12 th November & 13 th November	Monday & Tuesday
Guru Nanak Dev's Birthday	28 th November	Wednesday
Christmas	25 th December	Tuesday

NOTE.—1. The above list does not include the holidays on account of Ram Navmi (1.4.2012), Dr. B.R. Ambedkar's Birthday (14.4.2012) Himachal Day (15.4.2012), Budh Purnima(6.5.2012) and Idu'l Zuha (Bakrid) (27.10.2012) being Sundays, Second Saturday and Dussehra holidays.

2. The District and Sessions Judges shall at their discretion declare two holidays in the calendar year on the occasion of important fairs and festivals peculiar to the places, within their respective jurisdiction.

VACATIONS:

- (i) Vacation in the winter zone in Subordinate Courts will be observed from 23.1.2012 to 18.2.2012.
- (ii) Vacation in the summer zone in Subordinate Courts will be observed from 25.6.2012 to 21.7.2012.

Note.—Limitation will not run during the vacations and Gazetted holidays.

**BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT,
(DHARAM CHAND CHAUDHARY),
REGISTRAR GENERAL.**

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 19th November, 2011*

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XVII.—It is notified for information of the general public that the holidays and vacations to be observed by the High Court of H.P. during the calendar year 2012 shall be as follows:-

HOLIDAYS FOR THE HIGH COURT GAZETTED HOLIDAYS

Name of holiday(s)	Date(s) on which these Fall.	Day or Days of the week
All Sundays : All Second Saturdays :		
State-Hood Day	25th January	Wednesday
Republic Day	26th January	Thursday
Maha Shivratri	20th February	Monday
Holi	8th March	Thursday
Good Friday	6th April	Friday
Janam Ashtmi	10th August	Friday
Independence Day	15th August	Wednesday
Idu'L Fitr	20th August	Monday
Mahatma Gandhi's Birthday	2nd October	Tuesday
Dussehra Holidays	22nd October to 27th October	Monday to Saturday
Deepawali	13th November	Tuesday
Guru Nanak Dev's Birthday	28th November	Wednesday
Christmas	25th December	Tuesday

NOTE.—1. The above list does not include the holidays on account of Ram Navmi (1.4.2012), Dr. B.R. Ambedkar's Birthday (14.4.2012) Himachal Day (15.4.2012), Budh Purnima (6.5.2012) and Idu'l Zuha (Bakrid) (27.10.2012) being Sundays and Second Saturday and Dussehra holidays.

2. Saturdays falling on 3rd March, 17th March and 16th June 2012 shall be court working days.

3. Registry will remain open during winter as well as summer vacations.

VACATIONS:

- (i) Winter vacation will be observed in the High Court from 16.1.2012 to 25.2.2012.
- (ii) Summer vacation will be observed in the High Court from 4.6.2012 to 8.6.2012.

Note.—Limitation will not run during the vacations and Gazetted holidays.

**BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT,
(DHARAM CHAND CHAUDHARY),
REGISTRAR GENERAL.**

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th November, 2011

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XVII.—It is hereby notified for general information that Civil Courts in Himachal Pradesh shall remain closed for annual vacation as under:

Civil Courts in Winter Zone, comprising of Districts Shimla, Mandi, Bilaspur, Solan (Except the Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division), Nalagarh), Kinnaur, Kangra, (Except the Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division), Nurpur, Indora, Dehra and Jawali), Lahaul and Spiti, Chamba, Sirmour (Except the Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division), Paonta Sahib) and Kullu will observe the annual vacation from January 23, 2012 to February 18, 2012.

Civil Courts in Summer Zone comprising of Districts Hamirpur, Una and the Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division) Nalagarh in Solan District, Courts of Civil Judges (Sr. Division/Jr. Division), Nurpur, Indora, Dehra and Jawali in Kangra District and Paonta Sahib in Sirmour District will observe the annual vacation from June 25, 2012 to July 21, 2012.

Limitation will be regulated as per Section 4 of the Limitation Act, 1963 during the Vacations/ Holidays.

**BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT,
(DHARAM CHAND CHAUDHARY),
REGISTRAR GENERAL.**

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th November, 2011

No. HHC/Admn.6 (20)/77-XVII.—It is hereby notified for general information that the High Court of Himachal Pradesh shall remain closed for the winter vacation from January 16, 2012 to February 25, 2012 and for summer vacation from June 4, 2012 to June 8, 2012. The High Court will resume its sitting from Monday the 27th February, 2012 and Monday the 11th June, 2012, after observing winter vacation/gazetted holiday and summer vacation/gazetted holidays, respectively.

The Office of the High Court will remain open during the winter and summer vacations and will receive from parties and persons such petitions and other documents as they may choose to present. All petitions and applications falling under the civil jurisdiction of the Court, which are not of an urgent nature, will be listed after the reopening of the Court.

Urgent Criminal and Civil matters shall continue to be heard during the Vacations by the Vacation Judges.

Limitation will be regulated as per Section 4 of the Limitation Act, 1963 during the vacations/ holidays.

**BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH COURT,
(DHARAM CHAND CHAUDHARY),
REGISTRAR GENERAL.**

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 नवम्बर, 2011

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-6/2003-लेज.-II.—क्योंकि श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0-ई(9)-50/2005-लेज तारीख 22-07-2011 द्वारा उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना के लिए नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 359 पर प्रविष्ट किया गया था;

और क्योंकि श्री आर0 क0 धनोटिया, अधिवक्ता अम्ब ने श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता की नोटरी के रूप में नियुक्ति के विरुद्ध इस आधार पर शिकायत की है कि उसने नोटरी के लिए आवेदन करते समय यह तथ्य छुपाया कि उसके विरुद्ध दो एफ0 आई0 आर0 दर्ज है;

और क्योंकि उपायुक्त ऊना को इस सम्बन्ध में जांच करने और उसकी सूचना सरकार को देने हेतु निर्देश दिये थे उन्होंने अपने पत्र संख्या 1092/एल0 ए0/सिविल/2011 दिनांक 24-10-2011 द्वारा सूचित किया है कि श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता के विरुद्ध दो एफ0 आई0आर0 संख्या 136/09 के अधीन धारा 353, 332, 147, 148, 149, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 तथा 14/11 के अधीन धारा 147, 148, 149, 325, 295A, 307, 120B आई0पी0सी0 पुलिस थाना अम्ब में दर्ज है तथा वह ग्राम पंचायत अम्ब व टकराला में अपना मतदान करता है तथा उसने यह सब तथ्य नोटरी के लिए आवेदन करते समय छुपाये जो कि एक धोर अपराध है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (12)(इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राकेश कुमार, नोटरी पब्लिक, उप-मण्डल अम्ब, जिला ऊना को नोटरी का कार्य करने से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने का आदेश देती हैं जब तक कि उनके विरुद्ध दर्ज उपरोक्त एफ0 आई0 आर0 का परिणाम नहीं आ जाता।

आदेश द्वारा,
ए0 सी0 डोगरा,
 सचिव (विधि)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)6/2003-Leg. Dated 24 - 11-2011 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 24th November, 2011

No. LLR-E(9)- 6/2003-Leg.—WHEREAS Shri Rakesh Kumar, Advocate was appointed as Public Notary vide Government Notification No.LLR-E(9)-50/2005-Leg. dated 22-07-2011 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Amb of District Una and his name was entered at serial No.359 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS Shri R.K. Dhanotia, Advocate Amb has made a complaint against the appointment of Shri Rakesh Kumar, Advocate as Notary Public on the ground that he has concealed the facts that two FIR's are registered against him while making application for Notary;

AND WHEREAS District Magistrate Una was directed to enquire into the matter and send report to the Govt. The District Magistrate Una has intimated vide letter No.1092/LA/Civil/2011 dated 24-10-2011 has informed that two FIR Nos. 136/09 under sections 353, 332, 147, 148, 149, 323, 504, 506 IPC and 14/11 under sections 147, 148, 149, 325, 295A, 307, 120B IPC are pending against Shri Rakesh Kumar, Advocate in Police Station Amb and he has two Rashan Cards and casts his votes from Gram Panchayat Takrala and Gram Panchat Amb and he has consealed all these facts while making application for appointment as Notary, which is a serious crime;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by rule 13(12)(b)(ii) of the Notaries Rules, 1956 is please to order the suspension of Shri Rakesh Kumar, Notary Public, Sub-Division Amb of District Una from practice as Notary with immediate effect till the final outcome of above two FIRs.

By order,
AVTAR CHAND DOGRA,
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21नवम्बर, 2011

सं. पब-ए (3) 27/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना संख्या : पब-ए (3)5/94 तारीख 29-01-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-I राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध “अ” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध “अ” में :-

(क) स्तम्भ संख्या : 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
“₹ 10300-34800 जमा ₹ 5000/- ग्रेड पे।”

(ख) स्तम्भ संख्या : 10 के सामने विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
“भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।”

(ग) स्तम्भ संख्या : 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अधीक्षक ग्रेड-II/निजि सहायक में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो,

ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-II/निजी सहायक में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड-II/निजी सहायक और वरिष्ठ सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में, उनके अपने-अपने ग्रेड में नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष संयुक्त नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके अपने-अपने संवर्ग में कुल सेवाकाल के आधार पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवा काल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) आधार पर उर्पयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कॉडर में उस से वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उस से कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदाधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा । यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोब्लाइज्ड आरमज फोरसिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्निकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया हो व इनके अन्तर्गत वरियता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु की गई उपरोक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उस के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।”

(घ) स्तम्भ संख्या : 17 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव, (सूचना एवं जन सम्पर्क)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A(3)-27/99 dated 21-11-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 21st November, 2011

No. Pub. A-(3)27/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Information & Public Relations Department, Superintendent Grade-I (Class-I-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department notification No.Pub-A(3)5/94 dated 29-01-1997, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Information & Public Relations Department, Superintendent Grade-I (Class-I-Gazetted) Recruitment and Promotion (Second amendment) Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure “A”.—In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Information and Public Relations Department, Superintendent Grade-I (Class-I-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997:-

- a) In the existing provision of Column No. 4, the following shall be substituted, namely:
“Rs.10300-34800+Rs.5000 G.P. ”
- b) For the existing title of Column No. 10 following shall be substituted, namely :-
“Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion transfer and percentage of posts to be filled in by various methods”
- c) For the existing provision of Column No. 11, the following shall be substituted, namely:
“By promotion from amongst the superintendent Grade-II/Personal Assistant who possess 3years regular or regular combined with continuous adhoc service render, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the superintendent Grade-II/Personal Assistant who possess 9 years regular or regular combined with continuous adhoc service render, if any as Superintendent Grade-II/ Personal Assistant and Sr.Assistant /Sr.Scale Stenographer combined in their respective grade.

Provided that for the purpose of promotion a Joint seniority list of eligible officials on the basis of their length of their service in respective cadre shall be prepared without disturbing their inter-seniority.

1. In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that.

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall deemed to be eligible for consideration and place in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the recruitment and promotions rules for the post, whichever is less,

Provided further that where a person become ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of rule-3 of ex-servicemen(Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules,1985 and having been given the benefit of Seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc Service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion had shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

(d) In the existing provision of Column No. 17 following shall be substituted, namely :-

“Every member of the service shall pass a Department Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (I&PR).

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 नवम्बर, 2011

संख्या सिंचाई 11-15/2011-मण्डी.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भरजवाणू/9 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम् सिंचाई परियोजना (वामतदट) के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है; अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) तहसील सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि की रंखाकृति का निरीक्षण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	वीघा/विस्वा/विस्वांसी
मण्डी	सुन्दरनगर	भरजवाणू/9	1167/2/1	0-12-01
			1171/1	0-14-16
			किता-2	1-06-17

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 नवम्बर, 2011

संख्या सिंचाई 11-20/2011-मण्डी.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कलौहड़/27 तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम् सिंचाई परियोजना (वामतट्ट) के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है; अतएवं एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) तहसील सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि की रंखाकृति का निरीक्षण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	वीघा/विस्वा/विस्वांसी
मण्डी	सुन्दरनगर	कलौहड़/27	944/3	0-10-18
		खिलड़ा/28	622/3	0-02-00
		धारण्डा/1	209/2	0-02-09
			1163/1	0-02-08
मडी	सदर	टाण्डा/187	637/1	0-01-10
			636	0-06-00
		बुशैहर/194	1216/1	0-05-16
		चलाह/207	806/2	0-02-16

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**अधिसूचना**

शिमला-171002, 24 नवम्बर, 2011

संख्या सिंचाई 11-27/2011-मण्डी.- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जुगाहण/8 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम् सिंचाई परियोजना (वामतट्ट) के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है; अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) तहसील सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि की रंखाकृति का निरीक्षण अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	वीघा/विस्वा/विस्वांसी
मण्डी	सुन्दरनगर	जुगाहण/8	340/1	0-11-16
			346/1	0-16-06
			347/1	0-01-09
			347/2	0-05-18
			348/1	0-13-04
			353/1	0-04-08
			354/1	0-00-08
			364/1	0-00-18
			365/1	0-06-00
			367/1	0-02-14
			367/2	0-00-17
			372/1	0-01-17
			374/1	0-02-12
			374/2	0-04-03
			375/1	0-05-08
			376/1	0-02-05
			416/1	0-04-16
			436/1	0-00-08
			437/1	0-03-02
			450/1	0-05-10
			451/1	0-03-15
			453/1	0-01-10
			453/2	0-01-02
			454/1	0-03-00
			546/455/1	0-03-08
			547/455/1	0-01-03
			548/455/1	0-03-14

			574 / 373 / 1	0-00-04
			575 / 373 / 1	0-02-19
			576 / 373 / 1	0-02-03
			577 / 418 / 1	0-01-13
			578 / 418 / 1	0-01-16
			579 / 418 / 1	0-01-03
			580 / 418 / 1	0-01-13
			किता-34	6-03-02
मण्डी	सुन्दरनगर	भरजवाणू / 9	940 / 1	0-03-03
			942 / 1	0-02-18
			943 / 1	0-02-03
			944 / 1	0-01-04
			948 / 1	0-00-09
			किता-5	0-09-17
मण्डी	सुन्दरनगर	छातर / 2	466 / 1	0-07-13
			467 / 1	0-02-11
			468 / 1	0-02-15
			469 / 1	0-00-19
			470 / 1	0-00-12
			485 / 1	0-03-00
			487 / 1	0-02-16
			826 / 488 / 1	0-01-12
			489 / 1	0-01-00
			490 / 1	0-02-05
			492 / 1	0-00-12
			494 / 1	0-11-06
			506 / 1	0-01-09
			509 / 1	0-03-06
			755 / 516 / 1	0-03-06
			517 / 1	0-02-11
			642 / 1	0-01-14
			668 / 1	0-00-15
			669 / 1	0-00-06
			779 / 670 / 1	0-00-08
			843 / 671 / 1	0-02-16
			844 / 671 / 1	0-01-15
			672 / 1	0-01-02
			847 / 677 / 1	0-10-14
			851 / 680 / 1	0-04-07
			682 / 1	0-02-00
			683 / 1	0-04-09
			855 / 690 / 1	0-02-05
			857 / 691 / 1	0-07-08
			694 / 1	0-03-10
			695 / 1	0-00-03
			किता-31	4-10-15
मण्डी	सुन्दरनगर	भौर / 4	134 / 1	0-01-18
			155 / 1	0-05-10
			155 / 2	0-00-06

		156 / 1	0-06-08
		157 / 1	0-02-02
		158 / 1	0-01-07
		159 / 1	0-02-08
		161 / 1	0-01-07
		206 / 1	0-00-16
		207 / 1	0-01-06
		208 / 1	0-03-06
		210 / 1	0-01-05
		211 / 1	0-02-02
		213 / 1	0-02-03
		214 / 1	0-00-04
		218 / 1	0-02-00
		219 / 1	0-01-08
		220 / 1	0-01-07
		220 / 2	0-02-08
		221 / 1	0-00-10
		222 / 1	0-00-14
		241 / 1	0-02-11
		243 / 1	0-05-08
		253 / 1	0-05-02
		283 / 1	0-01-12
		284 / 1	0-01-16
		1703 / 287 / 1	0-01-12
		288 / 1	0-01-12
		289 / 1	0-01-16
		291 / 1	0-01-08
		292 / 1	0-02-08
		293 / 1	0-01-12
		16 1636 / 298 / 1	0-02-12
		1637 / 298 / 1	0-04-01
		1641 / 397 / 1	0-07-14
		किता-35	4-01-19
मण्डी	सुन्दरनगर	कनैड़ / 6	203 / 1
			204 / 1
			1863 / 225 / 1
			227 / 1
			228 / 1
			233 / 1
			1294 / 234 / 1
			235 / 1
			236 / 1
			239 / 1
			1296 / 241 / 1
			1297 / 241 / 1
			242 / 1
			243 / 1
			244 / 1
			245 / 1

			247 / 1	0-00-16
			248 / 1	0-00-18
			249 / 1	0-01-01
			250 / 1	0-01-04
			251 / 1	0-01-04
			270 / 1	0-01-04
			271 / 1	0-03-16
			272 / 1	0-01-04
			1866 / 273 / 1	0-02-02
			18 1868 / 274 / 2 / 1	0-02-10
			276 / 1	0-03-08
			277 / 1	0-00-04
			278 / 1	0-04-08
			किता-29	2-10-10
मण्डी	सुन्दनगर	खिलड़ा / 28	613 / 3 / 1	0-19-07
			614 / 2 / 1	0-09-01
			किता-2	1-08-08

आदेश द्वारा,
हसतक्षरित / -
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 25 नवम्बर, 2011

संख्या: 7-6/2011-ई.एल.एन.-भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई.डी./2011/एस0डी0आर (हि0प्र0) दिनांक 21 नवम्बर, 2011, जिसमें 12-नालागढ़ व 16-रेणका(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचन-2011 के मतदान के दौरान आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
नरेन्द्र चौहान,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

आदेश

दिनांक: 21 नवम्बर, 2011

सं0: 3/4/आई. डी./2011/एस0डी0आर0 (हि0प्र0).-यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों के लिए अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए ; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटो सहित निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है ; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिन निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किये गये हैं उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर मत डालने से उन्हें मना किया जा सकता है ; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहाँ राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किया गया है, वहाँ दोनों को ही साथ-साथ प्रयोग में लाया जाना है ; और

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था ; और

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया था, हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन-तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों, को ध्यान में रखते हुए पहचान-पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों और इलाकों में अनेक चक्रों को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र जारी किए हैं ; और

7. यतः, जनवरी-मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, और तब से अब तक हुए सभी साधारण और उप निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान-पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचन में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके ।

8. अतः, अब, सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि हिमाचल प्रदेश में 12-नालागढ़ एवं 16-रेणका(अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन, जो दिनांक 5 नवम्बर, 2011 को अधिसूचित हुआ था, के लिए मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसे निर्वाचक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :

- (i) पासपोर्ट ।
- (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स ।
- (iii) आयकर पहचान-पत्र (पैन कार्ड) ।
- (iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र ।
- (v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा 31.10.2011 तक खोले गए खातों के लिए फोटोयुक्त पासबुक ।
- (vi) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र ।
- (vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31.10.2011 तक जारी फोटोयुक्त अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र ।

- (viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31.10.2011 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विक्लांगता प्रमाण-पत्र ।
- (ix) 31.10.2011 तक जारी फोटो-युक्त शस्त्र लाइसेंस ।
- (x) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन 31.10.2011 तक जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड ।
- (xi) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि ।
- (xii) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश (31.10.2011 तक जारी) ।
- (xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना, 31.10.2011 तक जारी) ।

9. उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज जो केवल परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध हो, का प्रयोग उस परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आएँ तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान की जाए ।

10. उक्त पैरा 8 में किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन अपने पासपोर्ट में दिए गए विवरणानुसार, निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, मतदान केन्द्र में उनकी पहचान केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी (किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं) ।

आदेश से,
आशीष चक्रवर्ती,
सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

Dated : 21st November, 2011

No. 3/4/ID/2011/SDR/(HP).—1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Cards where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of Electors Photo Identity Card was taken up, the election machinery of Himachal Pradesh, has issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors; and

7. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January–March, 2000, and at all general and bye-elections held since then, the Commission had directed that all electors who were issued with Electors Photo Identity Card should produce those cards to exercise their franchise at the said election, and that it would permit those electors who have not obtained their EPIC to vote at the said election, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and.

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 12-Nalagarh & 16-Rainka(SC) Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, for the bye-election notified on 5th November, 2011, shall produce their EPIC for establishing their identity before casting their votes. If any elector fails to produce his/her EPIC, such elector shall have to produce any of the following alternative photo documents for establishing his/her identity.

- I. Passport,
- II. Driving License,
- III. Income Tax Identity (PAN) Card,
- IV. Service Identity Cards with photograph issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies or Public Limited Companies,
- V. Passbooks with photograph issued by Public Sector Banks/Post Office and Kisan Passbook(Accounts opened on or before 31-10-2011),
- VI. Freedom Fighter Identity Cards with photograph,
- VII. SC/ST/OBC Certificates with photograph issued by competent authority on or before 31-10-2011,
- VIII. Certificate of Physical Handicap having photograph issued by the Competent Authority on or before 31-10-2011,
- IX. Arms Licenses having photograph issued on or before 31-10- 2011,
- X. Job Cards issued under the NREGA scheme with photograph issued up to 31-10-2011,

- XI. Property Documents such as Pattas Registered Deeds etc. with photograph.
- XII. Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order with photograph issued on or before 31-10-2011,
- XIII. Health Insurance Scheme Smart Cards with photograph (Ministry of Labour's Scheme), issued up to 31-10-2011,

9. Any of the abovementioned documents that is available only to head of the family may be used for identifying the other members of the family provided all members come together and are identified by the head of the family.

10. Notwithstanding anything mentioned in Para 8 above, Overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950 based on the particulars in their passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By order,
ASHISH CHAKRABORTY,
SECRETARY.

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 25 नवम्बर, 2011

संख्या:3-34/2009-ई.एल.एन.-भारत निर्वाचन आयोग के निदेश संख्या 576/3/ई.वी. एम./2011/एस0डी0आर(वि.स.), दिनांक 15 नवम्बर, 2011, जो कि विधान सभा उप-निर्वाचन-2011 में निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डालने और रिकार्ड करने बारे में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से
नरेन्द्र चौहान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली -110001

निदेश

तारीख : 15 नवम्बर, 2011

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2011/एस0डी0आर(वि.स.).-यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 61 क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; तथा

2. यतः आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 12—नालागढ़ एवं 16—रेणका(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा में 41—रतिया(अ0जा0) एवं 47—आदमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उड़ीसा में 73—उमरकोट(अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में 40—लौकहा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड में 24—मांडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा हिमाचल प्रदेश में 12—नालागढ़ एवं 16—रेणका(अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, हरियाणा में 41—रतिया(अ0जा0) एवं 47—आदमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उड़ीसा में 73—उमरकोट(अ0ज0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में 40—लौकहा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड में 24—मांडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है, जिसमें 5 नवम्बर, 2011 को अधिसूचित किए गए विधान सभाओं के लिए चालू उप निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आदेश से,
आशीष चक्रवर्ती,
सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110 001

DIRECTION

Dated: 15th November, 2011

No. 576/3/EVM/2011/SDR(Bye).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 12-Nalagarh & 16-Rainka(SC) Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, 41-Ratia(SC) & 47-Adampur Assembly Constituencies in Haryana, 73-Umerkote(ST) Assembly Constituency in Orissa, 40-Laukaha Assembly Constituency in Bihar and 24-Mandu Assembly Constituency in Jharkhand, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 12-Nalagarh Assembly Constituency & 16-Rainka(SC) Assembly Constituency in Himachal Pradesh, 41-Ratia(SC) Assembly Constituency & 47-Adampur Assembly Constituency in Haryana, 73-Umerkote(ST) Assembly Constituency in Orissa, 40-Laukaha Assembly Constituency in Bihar and 24-Mandu Assembly Constituency in Jharkhand, as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies of the said States/UT, notified on 5th November, 2011, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,
ASHISH CHAKRABORTY,
SECRETARY

ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री बिहारी लाल पुत्र श्री सन्त लाल, निवासी दियूची, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह बिहारी लाल पुत्र श्री सन्त लाल, निवासी दियूची (खरशाली), तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरखास्त गुजारी है कि मेरी व मेरे भाई श्री पन्ना लाल की पहले मुशत्रका शादी श्रीमती रोशनी देवी के साथ हुई थी जिसमें प्रार्थी श्री बिहारी लाल ने ब्यान हल्फिया दिया है कि मेरा पुत्र अशोक कुमार है जो कागजात में बिहारी लाल के नाम दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत खरशाली के परिवार रजिस्टर में उपरोक्त पुत्र अशोक कुमार भ्राता पान्ना लाल के नाम दर्ज है जो गलत है। इसलिए प्रार्थी बिहारी लाल चाहता है कि अशोक कुमार को मेरे नाम से ग्राम पंचायत खरशाली के परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जावे।

अतः सर्व साधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम के इन्द्राज करने के आदेश ग्राम पंचायत खरशाली के परिवार रजिस्टर में करने के पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक 18-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

मोहन सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री मिचर सैन पुत्र श्री फुला सिंह, निवासी जडकोट, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह मिचर सैन पुत्र श्री फुला सिंह, निवासी जडकोट, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरखास्त गुजारी है कि मेरे पिता श्री फुला सिंह पुत्र श्री जैस राम, निवासी जडकोट, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश वाला प्रथम अक्तूबर, 2002 से घर से लापता है। श्री फुला सिंह की सन्तान मिचर सैन, बलभादर सिंह, सुभाष चन्द पुत्र व श्रीमती दर्शनी देवी पुत्री श्री फुला सिंह हैं। प्रार्थी वाका चक खरशाली की भूमि का इन्तकाल फुला सिंह के उपरोक्त जायज वारसानों के नाम से करवाना चाहता है।

अतः सर्व साधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त लापता श्री फुला सिंह की सन्तान के नाम से वाका चक खरशाली की भूमि का इन्तकाल दर्ज किया जावेगा।

आज दिनांक 18-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

मोहन सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी तेलगा, पोस्ट आफिस खशधार, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी तेलगा, पोस्ट आफिस खशधार, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरखास्त गुजारी है कि मैं अज्ञानतावश अपनी पुत्री मनीका व पुजा की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत खरशाली के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। मानिका की जन्म तिथि 4-7-2007 व पुजा की जन्म तिथि 11-5-2009 है। जिसे प्रार्थी अब ग्राम पंचायत खरशाली के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्व साधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मनीका व पुजा की जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत खरशाली को पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

मोहन सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रकाश पुत्र श्री बांका राम, निवासी पेखा (घरटनू), तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह प्रकाश पुत्र श्री बांका राम, निवासी पेखा (घरटनू), तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरखास्त गुजारी है कि मेरी

शादी श्रीमती हिरा मणी के साथ हुई है उसके वतन व मेरे नुथप से मेरे पुत्र आशू का जन्म हुआ है उसकी वास्तविक जन्म तिथि 5 अक्टूबर, 2010 है जो सही है। परन्तु प्रार्थी अज्ञानतावश अपने पुत्र आशु की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कार्यालय परिवार रजिस्टर पेखा में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे प्रार्थी अब ग्राम पंचायत पेखा के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्व साधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आशु का नाम दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत पेखा को पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक 18-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

मोहन सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कुमारी गुड्डी पुत्री स्व० श्री नन्द लाल हाल पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी भेतियाणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 हरगाह कुमारी गुड्डी पुत्री स्व० श्री नन्द लाल हाल पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी भेतियाणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरखास्त गुजारी है कि प्रार्थिया का नाम ग्राम पंचायत शिलादेश के कार्यालय परिवार रजिस्टर में सीता लिखा है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम कु० गुड्डी देवी है।

अतः सर्व साधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश ग्राम पंचायत शिलादेश के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के पारित किए जावेंगे।

आज दिनांक 18-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

मोहन सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

